कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा–मा/माध्य/अ–I/21312/एकीकरण/2019 दिनांक : 18.06.2020

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय)–माध्यमिक।

विषयः– शासकीय निर्देशों की पालना में 478 राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों को समन्वयन से मुक्त किए जाने के संबंध में क्रियान्विति सूचना बाबत्।

प्रसंगः– इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक : 25.02.2020 एवं 06.03.2020

सन्दर्भः– शासन के पत्रांकः प.14(4)शिक्षा–1/एकीकरण/2014 पार्ट जयपुर, दिनांक : 24.02.2020 एवं प.14(4)शिक्षा–1/एकी./सीकर/2014 पार्ट जयपुर, दिनांक : 06.03.2020

उपर्युक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के सन्दर्भित पत्रों के अनुसरण में इस कार्यालय के प्रासंगिक आदेशों द्वारा (473+5, कुल–478) राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पूर्व में किये गये समन्वयन से मुक्त किया गया था। जैसा कि निर्देशों में स्पष्ट है कि प्रासंगिक आदेश में वर्णित शर्तों की पालना के अधीन उक्त विद्यालयों को समन्वयन से मुक्त किया जाकर सत्र : 2020–21 से संचालित किया जाना है। उक्त सम्बन्ध में सम्बन्धित पीईईओ/बीईईओ/संस्था प्रधान द्वारा की गई अग्रिम कार्यवाही के अनुसार अपने क्षेत्राधिकार के प्रासंगिक आदेशों में वर्णित समस्त समन्वयन से मुक्त किये गये विद्यालयों की वस्तुस्थिति एवं सत्र : 2020–21 से उक्त विद्यालयों का पृथक से संचालन किये जाने बाबत् तथ्यात्मक टिप्पणी से अग्रांकित प्रारूप में तत्काल इस कार्यालय को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें :–

प्रपत्र

क्र.सं.	जिले का नाम	समन्वयन से मुक्त किये गये विद्यालयों की संख्या	प्रारम्भ किये जाने योग्य विद्यालयों की संख्या	प्रारम्भ नहीं किये जा सकने योग्य विद्यालयों की संख्या	विद्यालय प्रारम्भ नहीं किये जा सकने का कारण	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7

आपके जिला क्षेत्राधिकार में कॉलम संख्या 4 के अनुसार प्रारम्भ किये जाने वाले विद्यालयों तथा कॉलम संख्या 5 के अनुसार प्रारम्भ नहीं किये जा सकने योग्य विद्यालयों की पृथक–पृथक सूचियाँ इस कार्यालय की ई–मेल आई.डी. secondarydd2@gmail.com पर निर्धारित प्रपत्र के संलग्न दिनांक : 22.06.2020 तक **हार्ड कॉपी मय एक्सल शीट** के भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

उपर्युक्त निर्देशित कार्यवाही सर्वोच्च प्राथमिकता से निर्धारित समयावधि में सम्पादित किया जाना सुनिश्चित करें।

उपनिदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को क्षेत्राधिकार में प्रभावी प्रबोधन हेतु।
2. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान को जिला क्षेत्राधिकार में समुचित पर्यवेक्षण कर वांछित सूचना की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने हेतु।
3. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान को प्रेषित कर लेख है कि ब्लॉक क्षेत्राधिकार के सम्बन्धित विद्यालयों की वस्तुस्थिति परीक्षण हेतु जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक को समुचित सहयोग प्रदान करें।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को उनकी अ.टि. क्रमांक : शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/सी–एफ/4110/डी मर्ज.माशि/2019/ दिनांक : 15.06.2020 के क्रम में।
5. सहायक निदेशक (शाला दर्पण), कार्यालय हाजा को उनकी अ.टि. क्रमांक : शिविरा/माध्य/शाला–दर्पण/126/2019/ दिनांक : 15.06.2020 के क्रम में।
6. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु।
7. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
8. रक्षित पत्रावली।

उपनिदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर